



Neutral Citation No. - 2026:AHC:50085

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - बी संख्या - 5448/2025

हरि

----- याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 14 अन्य

----- प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : मुकेश कुमार पांडे

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : मुख्य स्थाई अधिवक्ता, प्रदीप सिंह

न्यायालय संख्या - 54

माननीय न्यायमूर्ति दिनेश पाठक,

1. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना।
2. इस रिट याचिका में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित राहत की मांग की गई है:

“प्रतिवादी संख्या 3 को आदेश देने हेतु परमादेश जारी किया जाए, जिसमें मामले संख्या 583/20-21 बिंद्रा देवी बनाम ग्राम पंचायत महुवार और अन्य, जो कि जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा 9A(2) के तहत दायर किया गया है, का इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर शीघ्र निस्तारण करने का निर्देश दिया जाए। और/या इस माननीय न्यायालय द्वारा मामले की परिस्थितियों के अनुसार उचित समझे जाने वाले अन्य आदेश पारित किए जाएं”।
3. यदि उपरोक्त मामले का शीघ्र निस्तारण करने का निर्देश जारी किया जाता है, तो विद्वान स्थायी अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है।
4. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में, इस मामले को लंबित रखने से कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए, यह न्यायालय याचिका में उठाए गए मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, इस रिट याचिका का अंतिम निस्तारण करना उचित समझता है, और प्रतिवादी संख्या 3 को निर्देश देता है कि वह उक्त मामले का निर्णय विधिवत रूप से,

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



तर्कसंगत और स्पष्ट आदेश द्वारा, संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद और किसी भी पक्ष को अनावश्यक स्थगन दिए बिना, शीघ्रता से, अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत होने की तिथि से चार महीने की अवधि के भीतर करे।

5. उपरोक्त निर्देश के साथ, इस याचिका का अंतिमरूप से निस्तारित किया जाता है।

(दिनेश पाठक, न्यायमूर्ति)

11 मार्च, 2026

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।